

## न्याय दिलाया राज्य का दायित्व

-न्यायमूर्ति सुधीर कुमार सक्सेना

○दीपक तिवारी, एडवोकेट



सहायक अभियोजन अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन अवसर पर बोलते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ के न्यायमूर्ति सुधीर कुमार सक्सेना ने कहा कि सभी लोगों को न्याय दिलाया राज्य का दायित्व है जबकि, न्याय प्रदान करना न्यायपालिका का।

अभियोजन अधिकारी न्यायालय में राज्य के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। उन्हें वाद से संबंधित सभी बिंदुओं व साक्ष्यों को न्यायालय में पेश करना चाहिए।

न्यायमूर्ति सुधीर कुमार सक्सेना ने अभियोजन अधिकारियों को सुझाव दिया कि उन्हें अपने ज्ञान को हमेशा अपडेट रखना चाहिए और अपने दायित्वों का निर्वहन निष्पक्षता व सत्यनिष्ठा से करना चाहिए।

इस अवसर पर प्रशिक्षण संस्थान के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एस.यू. खान ने सहायक अभियोजन अधिकारियों से कहा कि उन्हें संस्थान में जो प्रशिक्षण मिला है, उसी के आधार पर वे अपने दायित्वों का निर्वहन करें। कार्यक्रम में संस्थान के निदेशक महबूब अली, अपर निदेशक प्रशिक्षण सुधीर कुमार, आर.एम.एन. मिश्रा व डॉ. एच.आर. खान उपस्थित थे।

## बार एसोसिएशन की जानकारी ऑनलाइन

○अरुण सिंह, एडवोकेट

लखनऊ : अब एक क्लिक पर लखनऊ बार एसोसिएशन की न केवल पूरी डिटेल्स देख सकेंगे, बल्कि लखनऊ कोर्ट में होने वाले अहम फैसले की भी जानकारी ले सकेंगे। न्यायमूर्ति एसएस चौहान ने लखनऊ बार एसोसिएशन की वेबसाइट का उद्घाटन किया, साथ ही वकीलों के 52 नवनिर्मित चौबरा का भी उद्घाटन किया।

बार एसोसिएशन भवन में कार्यक्रम की शुरुआत न्यायमूर्ति एसएस चौहान और डिस्ट्रिक्ट जज अनिल कुमार श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस मौके पर एडीजे प्रथम समेत लखनऊ बार एसोसिएशन की कार्यकारी सदस्य

व वकील उपस्थित रहे। लखनऊ बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में शिरकत करने आए न्यायमूर्ति एसएस चौहान और जिला जज अनिल कुमार श्रीवास्तव ने वकीलों के 52 चौबरा वाले कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण भी किया। न्यायमूर्ति ने बार एसोसिएशन की सराहना करते हुए कहा कि कॉम्प्लेक्स बनवाने के लिए एसोसिएशन ने सरकारी मदद नहीं ली बल्कि एसोसिएशन ने अपने रिसोर्स से इसका निर्माण कराया है यह बड़ी बात है। लखनऊ बार एसोसिएशन के इस कार्य को नजीर मानते हुए प्रदेश भर की बार एसोसिएशन को इस संदर्भ में पत्र लिखा जाएगा। बार एसोसिएशन के महामंत्री सुरेश पांडेय ने बताया कि

## हत्या के प्रयास में बीजेपी नेता को सजा

लखनऊ : ए.डी.जे. शुवि श्रीवास्तव ने हत्या का प्रयास के मामले में मुल्जिम दिवाकर सिंह को दोषी करार देते हुए उसे सात साल की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले के एक अन्य मुल्जिम रामेंद्र उर्फ रविंद्र सिंह को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। सरकारी वकील डीसी यादव के मुताबिक मुल्जिम दिवाकर बीजेपी के प्रांतीय परिषद का सदस्य हैं। 27 अप्रैल, 2001 को इस घटना की एफआईआर वादी बाबूलाल गिरि ने थाना इटौंजा में दर्ज कराई थी। मुल्जिम ने पुरानी रंजिश के चलते तिलक समारोह से वापस अपने घर आ रहे वादी के पुत्र अरुण को हत्या की नियत से गोली मारकर जखमी कर दिया था।

चार सौ वकीलों के लिए कैम्पस में टिन शेड हटाकर पक्की छत वाला चबूतरा तैयार कराया गया है। नव वर्ष से वकील पक्के छत वाले चबूतरे में अपना बस्ता लगाकर कामकाज शुरू करेंगे। 52 चौबरा वाले कॉम्प्लेक्स के निर्माण में सहयोग देने वाले बार के पूर्व उपाध्यक्ष अनीश दीक्षित और वकील मो. तनवीर को न्यायमूर्ति एसएस चौहान ने सम्मानित भी किया। इस अवसर पर बार एसोसिएशन के महामंत्री सुरेश पांडेय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज कुमार वर्मा, उपाध्यक्ष आलोक कुमार द्विवेदी, संयुक्त मंत्री मारुत शर्मा, कामिनी ओझा और कार्यकारिणी के सदस्य समेत सैकड़ों अधिवक्ता मौजूद थे।

## घूस दो हजार: सजा चार साल

लखनऊ : सीबीआई के विशेष जज वृजेश कुमार पांडेय ने कर्ज की सख्मिडी के लिए दो हजार की घूस लेने वाले इलाहाबाद बैंक के मैनेजर सुरेंद्र पाल सिंह को 30 हजार का जुर्माना और चार साल की सजा सुनाई है।

सीबीआई के वकील वृजेश सिंह के मुताबिक छह अगस्त, 2003 को अभियुक्त के खिलाफ कुलवंत कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी। तब अभियुक्त सोनभद्र में चपकी ब्रांच का मैनेजर हुआ करता था। कुलवंत की शिकायत पर सीबीआई ने सुरेंद्र को रिश्वत की रकम के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।

## काउन्टर-रिज्वाइन्डर

○ प्रचेता

- बंटी— तेरा दिमाग क्यों मुख्यमंत्री की लिफ्ट की तरह खराब हो रहा है।  
बबली— इसलिए कि तू लखनऊ की ट्रैफिक की तरह बेकाबू हो रहा है।  
बंटी— और सुना है उस दिन पति पत्नी दोनों लिफ्ट में थे।  
बबली— कहना क्या चाहता है?  
बंटी— यही कि आजतक जब माननीय मुख्यमंत्री अकेले चढ़ते थे तो कभी नहीं खराब हुई उस दिन जब सवाल इज्जत का था तो धोखा दे गयी।  
बबली— पूजा के दिन बकरी गायब होने की कहावत पुरानी है।  
बंटी— सोच डिम्पल जी ने कहा क्या होगा?  
बबली— शायद कहा होगा एक लिफ्ट तो सही चला नहीं पा रहे हो भगवान जाने साढ़े तीन साल से सरकार कैसे चला रहे होंगे।  
बंटी— नहीं यह नहीं कहा होगा क्योंकि सब जानते हैं कि इस देश में सरकार कोई चलाता नहीं सरकार तो भगवान भरोसे चलती है। कहा होगा पिताजी से पूछकर नहीं चढ़े थे क्या?  
बबली— प्रदेश से बाहर निकल कुछ देश विदेश की सोच।  
बंटी— देख अब तू संसद के बारे में कोई बखेड़ा न खड़ा कर देना।  
बबली— क्यों? क्यों न खड़ा करू? वहां जनता की गाड़ी कमाई का पैसा हरामखोरी में उड़ाया जा रहा है तू चाहता है हम चुप बैठ जायं।  
बंटी— तू चुप न बैठ तो इस देश की कायर जनता को जगा इन हरामखोरों को सबक सिखाया जाय।  
बबली— चल नए साल का यही रिजोयुशन रहेगा जागेंगे, जगादेंगे इन लुटेरों को भगायेंगे।  
बंटी— जागने जमाने का तो चलता रहेगा। तू दिल्ली क्यों नहीं चली जाती?  
बबली— वहां क्या करूंगी?  
बंटी— मोदी जी को काबिल लोग चाहिए मंत्रिपरिषद में जगह देने के लिए।  
बबली— क्यों अभी जिनको दिया है वे क्या नहीं हैं?  
बंटी— छोड़ हम हल्के पुलके दिमाग के लोग कहां सीरियस डिसकशन में फंस गये। इन सब पर सोचा तो दिमाग का दही बन जाता है।  
बबली— तो चल दिमाग की आइसक्रीम बना कर बता।  
बंटी— सुन; बड़बोले दिग्विजय सिंह ने कहा इस्तीफा होना था जेटली का हो गयी कीर्ति आजाद का।  
बबली— तो जेटली ने क्या कहा?  
बंटी— जेटली ने कहा शादी होनी थी राहुल की हो गयी दिग्विजय सिंह जी की।  
बबली— ये हुआ ईट का जवाब पत्थर से।  
बंटी— अगर बात आगे बढ़ती तो ये भी पता चलता सुहागरात किसकी हुई।  
बबली— औकात में रह। घोड़े की पिछड़ी और राजा की अगाड़ी नहीं जाना चाहिए।  
बंटी— अब बात क्रिकेट की आ गई है इसके बारे में कुछ बता।  
बबली— क्या बताऊ? आप के बाप कह रहे हैं क्रिकेट में कारिस्टिंग काउच बहुत ज्यादा चल रहा है।  
बंटी— आप का बाप कौन है?  
बबली— किसी का बाप कौन होता है?  
बंटी— जो उसको पैदा करता है।  
बबली— आप को किस ने पैदा किया?  
बंटी— अच्छा, तो तू उस नौटकी की बात कर रही है?  
बबली— और नहीं तो क्या? लेकिन तूने जो सवाल पूछा है उसका जवाब है, क्रिकेट आज कल मैदान पर कम संसद में ज्यादा खेली जा रही है।  
बंटी— नतीजा  
बबली— अंपायर (जनता) की हार व पैसे की बर्बादी।

## जजमेंट आजतक का अगला अंक

न्यायालय अवमानना  
विशेषांक होगा

अपने लेख/विचार निम्न पते पर भेजें।

अम्बिका प्रसाद, एडवोकेट, संपादक: 'जजमेंट आजतक'  
हिमांशु सदन, 5 पार्क रोड, लखनऊ, मो.: 9839010677  
E-mail: judgementajtak@gmail.com